

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
पटना, दिनांक-

पत्रांक-  
संचिका सं०-रे०/प्र०/बु०-०२/१७  
प्रेषक,

प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

विषय :- राज्यादेश सं० 3859 दिनांक 07.09.2017 द्वारा बुनियाद रीलिंग मशीन पर प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि रू० 11,16,000/- (ग्यारह लाख सोलह हजार) मात्र के एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।  
आदेश स्वीकृत।

2.  
3. (i) स्वीकृत राशि रू० 11,16,000/- (ग्यारह लाख सोलह हजार ) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-107-रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय मद से विकलित होगा। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में यथेष्ट राशि का उपबंध उपलब्ध है।

(ii) स्वीकृत राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक (रे०), भागलपुर द्वारा भागलपुर कोषागार से प्रभारी पदाधिकारी, प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र/वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भागलपुर के पक्ष में अग्रिम के रूप में एकमुश्त की जायेगी।

(iv) उक्त राशि को अग्रिम के रूप में निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दि०- 17.04.1998 की कंडिका 15 का अनुपालन करते हुए माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार, राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- सं०-रे०/योजना (मु.को.म.परि.)-०२/१५

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- सं०-रे०/योजना (मु.को.म.परि.)-०२/१५

प्रतिलिपि- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रदर्शन सह- तकनीकी सेवा केन्द्र/वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 16-01-18

ज्ञापांक- सं०-रे०/योजना (मु.को.म.परि.)-०२/१५ 206

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

16/1/18  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।